अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 102/16-17

---

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री गजेन्द्र कु० चास्को वो अंचल निरीक्षक श्री नारायण दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा पडुआ थाना नं0 092 गैरमजरूआ खाता नं0 54/37 दाग नं0 32 रकवा 05-00-10 किस्म पर्ती कदीम श्री सचिव मिडिल स्कूल पिता ... साकिन ... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री सचिव मिडिल स्कूल को दिनांक 30/7/16 समय 11:00 AM पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 21/7/16

अंचल अधिकारी,

महागामा।

30/7/16 अभिलेख उपस्थापित। सचिव मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक उपस्थित। उन्होंने साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया। उन्होंने दस्तावेज समर्पित करने हेतु समय की मांग किया गया है अतः अभिलेख दिनांक 11/8/16 को रखें।

(हस्ताक्षर) 30/7/16

अं० अ०

ancha

Scanned with Cam

| | |
|---|---|
| 14/6/19 | अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, महागामा |
| 11-7-19 | अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। विपक्षी अनुपस्थित। |
| 8/7/2020 | अभिलेख उपस्थापित। नोटिस निर्गत करें। अंचल अधि॰ महागामा |
| 10/12/2022 | अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-बसुआ थाना नं॰-692 के गैरमजरूआ खाता सं॰-24 के अन्दर दाग सं॰-32 का अंश रकबा 05-0-0 धूर किस्म परती कदीम भूमि पर मिडिल स्कूल, महागामा अवस्थित है। वर्तमान में मिडिल स्कूल, महागामा के नाम से दाग सं॰-24 के अन्दर 05-0-0 धूर जमीन पंजी II में संधारित है। राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा उक्त जमाबंदी को सही मानते हुए अभिलेख की कार्रवाई बन्द करने की अनुशंसा की गई है।<br>उक्त के आलोक में अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।<br>लेखापित<br>10/12/2022<br>अंचल अधिकारी महागामा<br>10/12/2022<br>अंचल अधिकारी महागामा |

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :– अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 102/2016–17 सचिव मिडिल स्कूल का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 102/2016–17 सचिव मिडिल स्कूल का जांच किया। जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकवा 05–00–00 धूर किस्म–परती–कदीम भूमि पर मिडिल स्कूल, महागामा अवस्थित है। वर्तमान में मिडिल स्कूल के नाम से दाग सं0–24 के अंदर 05–00–00 धूर जमीन पंजी–2 में संधारित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

10.12.22

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2022.12.12 15:30:13 +05:30
Location: 192.168.1.47

Scanned with Cam